24/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वकील वादी व वादी का वाद अदम हाजरी आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ